

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक-02/विविध-01/2016 परि0-

5474 दि 31/9/16

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5070 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा श्री अरुण कुमार प्रसाद, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था। जिन्हें महालेखाकार, बिहार के पत्रांक- RS/MVT Review/ 2016-17/06 दिनांक 10.05.2016 के द्वारा सुझाएँ गये बिन्दुओं पर जाँच करने का आदेश जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा के लिए दिया गया था। श्री अरुण कुमार प्रसाद, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस जाँच के लिए अनिच्छा व्यक्त की है।

2. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण में इसी प्रकार के प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सुझाएँ गये बिन्दुओं पर जाँच करने हेतु श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी है।

3. अतएव श्री अरुण कुमार प्रसाद के स्थान पर श्री सुबोध कुमार चौधरी, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मुंगेर को जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा की जाँच करने हेतु नामित किया जाता है।

4. उभय पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों की जाँच महालेखाकार के प्रतिवेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर कर अधोस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करावेंगे। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-5071 दिनांक 22.08.2016 में अंकित जाँच दल के अन्य सदस्य डॉ० कन्हैया पाण्डेय एवं श्री राणा प्रताप, प्रधान पद्धति विश्लेषक, NIC, पटना ही होंगे।

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-02/विविध-01/2016 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना / श्री सुबोध कुमार चौधरी, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मुंगेर / डॉ० कन्हैया पाण्डेय, प्रधान पद्धति विश्लेषक, NIC, पटना / श्री राणा प्रताप, प्रधान पद्धति विश्लेषक, NIC, पटना को महालेखाकार, बिहार से प्राप्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है, कि प्रतिवेदन निश्चित रूप से निर्धारित समयावधि में समर्पित करें।

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-02/विविध-01/2016 परि0

पटना, दिनांक- 31/9/16

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

Email

Email

5474